न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
विभाजन वाद संख्या–26/2021

हरिशंकर प्रसाद...वादी

बनाम

मु0 श्वेता देवी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

17.12.2021 वादी की पैरवी है। वादी की ओर से आज शपथ पत्र से समर्थित एक आवेदन अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल कर निवेदन किया गया है कि टंकक की गलती से वादपत्र में कुछ तथ्य गलत टाइप हो गया है तथा बंटवारा तलब जायदाद का कुछ रकबा व चौहदी गलत टाइप हो गया है। वाद अभी प्रविष्ट नहीं हुआ है तथा प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अतः आवेदन की कंडिका ''क'' से ड़. में वर्णित तथ्यों को वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाय।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी ग्रहण के बिंदु पर सिरिस्तेदार के प्रतिवेदन हेतु चला आ रहा है। वादी संशोधन आवेदन के माध्यम से वादपत्र में जो तथ्य जोड़ना चाहता हैं वह औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है तथा इससे वाद के स्वरूप में परिर्वतन होता प्रतीत नहीं होता है। ऐसी दशा में वादी का आवेदन न्याय हित में स्वीकृत किया जाता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में अपेक्षित संशोधन करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 05.01.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)